

4.4.22

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अनुपस्थित है। वादी व वकील वादी को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगावारी गई। किन्ती अनुपस्थित रहे और ना ही प्रतिवादी को भी शामिल करवारी गई।

आतः पत्रावली अहम हाजरी, अहम पैरवी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत खासिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुमा होकर नम्बर से कम होकर दारिखल इफतार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

